



539

4999

4624

Stamp Rs. 1000 + 750 + 500 + 100 + 20 + 20  
= 2390

Map Attached

AU) 320-00

NL) 45-00

Kf 2-50

pbe 294

368=44

4602 pro. Co.  
1976 के न  
1979 को अनुसूची  
1915  
Sd/ S. Pathak


अनुसूची 26 अधिनियम 1976 की 1915/2000  
कासि 26 के अन्तर्गत सहायक पदा 3 स रेट दिनांक 1305  
के अन्तर्गत अर्द्धकालिक दि. 25-1-2000 775  
के अन्तर्गत 14/1/2000 काच दिन की गणना 310  
Sd/ K.S. यह बिक्रय-पत्र आज दिनांक 17 मई सन् 2000 ई. को इस 2390/-  
प्रकार सम्पन्न हुआ।

1. बिक्रेता :- श्रीमती पार्वती देवी पति श्री गोबिन्द प्रसाद,  
जाति-स्वर्णकार, पेशा-गृहणी, निवास स्थान-ना स्ट्रीट  
हिन्दपीढ़ी थाना हिन्दपीढ़ी जिला राँची। भारतीय  
नागरिक।

2. क्रेता :- रमेश प्रसाद पिता श्री उमाकान्त सिंह, जाति-  
हिन्दु, पेशा नौकरी, निवास स्थान क्वार्टर नं० डी.टी.  
1885 धुर्वा, थाना हटिया, जिला राँची। भारतीय नागरिक।

"बिक्रेता और क्रेता" सम्बन्धनों में जब तक अन्यथा  
अपेक्षित अथवा प्रांग के प्रतिकूल न हो उनके वारिस, उत्तराधिकारी  
-गण, प्रशासक, निष्पादक, प्रतिनिधि और सुपुर्ददार भी सम्मिलित  
माने जायेंगे।"

प्राप्त श्री मुखारिणी की खुशी  
नै लै खपकारी का नाम गरी  
जिला। Sd/ K.S.  
1915



310 सि० पवि० देवी  
17/05/24

541

- 2 -

3. लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र से ल डी ड १ ।
4. मुख्य मात्र :- 15,500/- पन्द्रह हजार पाँच सौ रुपया मात्र नगद ।
5. अंचल का नाम :- अंचल कार्यालय नामकुम, राँची ।  
सालाना मालगुजारी 0.25 पैसे ।
6. सम्पत्ति का विवरण एवं चतुःसीमा :- रीभीजनल सर्वे प्लॉट नम्बर 545 अन्तर्गत खाता नम्बर 68 खेपट नम्बर 3 रकबा 99 डिसेमील मध्ये 8.44 १/१०० आठ दशमलव चौपालीस १/१०० डिसेमील ग्राम, हेथु धाना जगरनाथपुर धाना नम्बर 298 जिला राँची ।

खाता नम्बर	रीभीजनल सर्वे प्लॉट नम्बर	सब प्लॉट नं०	रकबा
68	545	545/रफ	8.44 डिसेमील

१/१०० आठ दशमलव चौपालीस १/१०० डिसेमील भूमि बिक्री किया ।  
बिक्रीगत भूमि लाल रंग से रंगकर संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है जो इस विक्रय पत्र का अभिन्न अंग है ।

चतुःसीमा

- उत्तर :- आर.एस. प्लॉट नम्बर 545/ई.  
दक्षिण :- सब प्लॉट नम्बर 545/जी.  
पुरब :- 12 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।  
पश्चिम :- 12 फीट प्रस्तावित रास्ता ।

५०५०३०



आमि०पारि० देवी  
17/05/24



545

- 4 -

के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमा संख्या टा0मु0 140 वर्ष 1962 दर्ज हुआ। उक्त मुकदमें में प्रतिवादी न्यायालय में तुलहनामा लिखकर दे दिये, और उक्त जमीन वादी श्रीमती पार्वती देवी को राजी खुशी से सौंप दिये।

तदुपरान्त न्यायालय बादी के पक्ष में फैसला दिया इसके बाद श्रीमती पार्वती देवी अपना नाम अंबल कार्यालय; नामकुम, रांची में दाखिल खारीज कराकर सालाना मालगुजारी, बिहार सरकार को भुगतान करते हुये सालाना राशि प्राप्त करते आ रही है। तथा उक्त जमीन में शान्ति पूर्वक दखलदार हैं।

कुछ आवश्यक कार्य करने एवं बच्चों को व्यवसाय करने तथा मकान बनाने हेतु बिक्रेता को कुछ रुपये की आवश्यकता आ पड़ी अतएव उक्त जमीन में से 8.44 डीसमील बिक्री करने का प्रस्ताव क्रेता के समक्ष रखी जिसे सरकारी तय दर के अनुसार 15,500/-रु0 में क्रेता खरीद करने को तैयार हुए। जिसे बिक्रेता उचित समझ कर बिक्री करने को तैयार हुई अतएव इस विक्रय पत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि :-

1. यह कि बिक्रेता अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने हित और लाभ का विचार कर अपने विवेक और स्वेच्छा से बिना किसी अन्य के डराव, धमकाव, बहकाव, दबाव या फुसलाव के उक्त भूमि पराजी 8.44 डी. भूमि को उक्त कारणों और उक्त प्रतिफल राशि 15,500/-रु0 के बदले सब प्रकार के ऋण भार से मुक्त क्रेता के हाथ बेच दिये, हस्तान्तरित की और सौंप दी।

अपशि. पार्वती देवी  
17/05/24




कू0पू0उ00



- उक्त भूमि के साथ उससे संबंधित सभी हक, स्वत्व, अधिकार, दखल, लाभ, सुविधा आदि भी क्रेता को अन्तर्गत किया ।
2. यह कि प्रतिफल की कुल राशि 15,500/-रु0 मात्र क्रेता से बिक्रेता को आज के दिन प्राप्त हुई जिसकी प्राप्ति और वसुली इस लेख्य पत्र द्वारा बिक्रेता कबुल मंजूर और सम्पुष्ट करती हैं । अब और किसी प्रकार का कोई पावना या बाकी बकाया नहीं रहा ।
3. यह कि बिक्रीगत भूमि सब प्रकार के ऋण भार, दावा आदि से मुक्त सर्वथा शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार, निर्वैर और निर्विरोध हैं । किसी अन्य का दावा, हक, अधिकार और दखल उक्त भूमि पर नहीं है और न होगा । हम या हमारे उत्तराधिकारीगण अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हक, दावा या अधिकार जतावे तो वह अनुचित, निर्मूल, निरर्थक और तथ्यहीन समझा जायेगा ।
4. यह कि आज से उक्त भूमि पर जो कुछ भी स्वत्व, स्वामित्व, अधिकार हित और प्रभुत्व बिक्रेता का था या आगे होता सो सब स्वत्व, स्वामित्व, अधिकार, हित और प्रभुत्व तथा उसकी कुल प्राप्ति, लाभ, उपज, सुख और सुविधा सदा के लिए क्रेता को प्राप्त हुआ और वंशानुगत प्राप्त होता रहेगा ।
5. यह कि क्रेता अब से उक्त सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी और दखलकार हुए और अपने हित में जैसा चाहें व्यवहार में लावें इसमें हमें और हमारे परिवार वालों अथवा अन्य किसी का कोई हक तथा विरोध नहीं होगा । कोई विरोध करे तो वह अवैध और अनुचित होगा । वो क्रेता अपनी इच्छानुकूल मकान बनावें, बाग बगीचा लगावें, कुूप निर्माण करावें या बैय, बिक्री करें सब कुछ करने के लिए सार्थक हैं ।

17/05/24  
17/05/24

रू0पू0रू0...6



Pun.

549

- 6 -

इसमें किसी अन्य को या हमारे परिवार वालों को कोई अनुरोध विरोध नहीं होगा ।

- 6. क्रेता अपने नाम का दायित्व खारीज अंचल कार्यालय नामकुम, रांची तथा अन्यत्र जहाँ कहीं आवश्यकता हो करा लेंगी ।
- 7. यह कि उक्त जमीन बेचने हेतु विक्रेता शहरी भू-हदबन्दी शाखा रांची में धारा 26 के अन्तर्गत आपेदन दिनांक 25.1.2000 ई. को दिये जिसका नं० 141/2000 दर्ज हुआ तथा 60 दिन बित चुका है ।

मूल दस्तावेज एवं द्वितीय प्रति एक दुसरे के हु-ब-हु सर्व सच्ची प्रतीतिपि है ।

साक्षी स्वरूप उपर निर्दिष्ट तिथि, मास, वर्ष को विक्रेता अपनी हस्ताक्षर से प्रमाणित करती हैं ।

मजमूनकर्ता :-

*M. Mahis*  
Advocate.  
(M.N. S. Mahis)

हो/- विक्रेता

अनुरोधित  
19/10/2000

गवाह

1. *बलराम प्रसाद*

2. *श्री. वि. प्रसाद*

टंकक

*कुमार मेघनाथ कुंवर*

॥ कुमार मेघनाथ कुंवर ॥

Comp. by

M. Mahis

19/10/2000

Ready

*M. Mahis*

19/10/2000





CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF TEANCIES IN ESTATES IN GOVERNMENT

District रांची Sub-division सुंदर रांची Circle / Anchal नामकुम Halka 111  
 Name of State जार्जिया Taluq Number 205

Sl. No.	Mutation cash number in Register 27	Village	Thana and Thana Number	Number of tenancy to which the mutation relate	Authority sanctioning mutation with date of order	Mutation is due to sale gift exchange succession or partition	Full details of exchanges affected by mutation	Date of correction of the Halka Register by the Karmachari	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	472 R 27 2000-01	होव ९	जोर-५५५ 205		अंजल आधिकारी नामकुम का आदेश दिनांक: 9.12.2K	बिडी निबंध सं-4627 दिनांक: 17.5.2000	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री उमाकान्त सिंह ववा. डी.टी. 1885. पूर्वा, रांची के नाम उक्त जमीन में दारिद्र स्वार्थ की स्वीकृति दी जाती है।		
		खेतानं. 68	लॉटर नं. 505	रकबा 8.44/3. (आठ दशमक चौगलिस डिसमिल)	भजन रु 0=25				

V02  
12/12/21  
12/12/21


Memo No.

Date

Circle Officer / Anchal

Circle Anchal Adhikari

Forwarded to the Karmachari, Halka No. 111 for information any necessary action





# राँची नगर निगम, राँची।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : SAM/054/0122/19/20

Date : 24-04-2019

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री

RAMESH PRASAD S/O UMA KANT SINGH

पता

URJA NAGAR LATMA ROAD SINGH MORE

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं.- 054000661700020 एवं नया वार्ड सं. 51 (पुराना वार्ड सं. 54) हुआ है. आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0.00/- रु. निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	170.74
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		170.74



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, राँची नगर निगम Website, [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।  
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. राँची नगर निगम द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

*(Signature)*